सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 30 / 2015 / एफ.सी.

दिनॉक: 26-8-15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में जिलाधिकारी आवास से बंसल पेट्रोल पम्प तक पुराना एन0एच0–28 (बारांबकी शहरी भाग) मार्ग पर किमी0 26.00 से 29.70 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु 1.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण तथा 104 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक– 306 / 11सी–048 / 2015, दिनांक– 12.08. 2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. प्रस्ताव बिना पृष्ठ संख्या उल्लिखित किये प्रेषित किय गया है, जिसके कारण दस्तावेजों को ढुंढ़ने एवं इंगित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।
2. भाग–1 में दिये गये परियोजना से प्राप्त होने वाले रोजगार का ब्यौरा संलग्न 18 से मेल नही खाता है।
3. प्रस्तुत किये गये भाग–।। के दोनों संस्करणों में दिये गये वानस्पतिक घनत्व में अन्तर है। ऑन लाईन ब्यौरे के अनुसार वानस्पतिक घनत्व 0.4 दिया गया है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति शून्य दर्शायी है, अन्य दूसरे दस्तावेज में शून्य एवं 378.7631228 दर्शाया गया है। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
4. बाधक वृक्षों की सूची वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मात्र प्रतिहस्ताक्षरित है।
5. एन0पी0वी0 की गणना का ब्यौरा एवं वर्तमान दर के अनुसार लागत धनराशि का ब्यौरा नही प्रस्तुत किया गया है।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम समाज की भूमि पर प्रस्तावित है जिसको वन भूमि में नामान्तरण होना चाहिए एवं भविष्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 के द्वारा वन में अधिसूचित होना चाहिए।
7. पृष्ठ 22 पर संलग्न संरक्षित वन भूमि की अधिसूचना पठनीय नही है।
8. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं के अक्षांष एवं देशान्तर के साथ नही प्रस्तुत किया गया है एवं ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी .kml file नही खुल रही है।
9. संलग्नक 31 के मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल सारिणी अनुसार है लेकिन मानचित्र का शीर्षक नही दिया गया है।
10. गुगल मैप में दर्शाया गया क्षतिपूरक वृक्षारोपण अस्पष्ट है एवं देखेने से प्रतीत होता है कि स्थान में अन्य प्रकार की भूमि प्रयोज्य है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

संलग्नक– मूल प्रस्ताव

26/8/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ
2. वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी, उ0प्र0
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–3, बाराबंकी, उ0प्र0।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}